षोडश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.11.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०	"राज्य के जिला परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड में ड्राईविंग लाईसेंस एवं ऑनर बुक के 4 लाख से अधिक मामले लम्बित हैं । ड्राईविंग लाईसेंस के आवेदकों को पेपर ड्राईविंग लाईसेंस जारी किया जा रहा है जिसे अन्य राज्यों में मान्यता नहीं दी जाती है । लोगों से 200 रूपये प्रति ड्राईविंग लाईसेंस और ऑनर बुक लिया जा रहा है परन्तु स्मार्ट कार्ड में नहीं बनाया जा रहा है । जिला परिवहन कार्यालय, पटना में ही एक लाख से अधिक मामले लम्बित हैं । इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि स्मार्ट कार्ड की आपूर्त्ति वांछित संख्या में नहीं हो रही है । अत: सभी आवेदकों को अविलम्ब स्मार्ट कार्ड में ड्राईविंग लाईसेंस एवं ऑनर बुक निर्गत किये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ ।"	परिवहन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०	"बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मुख्यालय में राज्य के सभी स्थापना अनुमति / प्रस्वीकृत प्राप्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यक्ष, सचिव तथा प्राचार्य को बुलाकर तिथिवार दिनांक-04.11.2009 से 04.12.2009 तक बिन्दुवार 7 प्रकार के अभिलेखों की जाँच की गई । तत्पश्चात सभी कॉलेजों को समान रूप से 50 लाख की राशि शैक्षिक सत्र 2006-08 के लिए दिनांक-26.03.2008 तक विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच अनुदान की राशि वितरित करने के लिए सन् 2010 में भेजी गयी । उक्त जाँच के उपरान्त विभाग द्वारा जाँच के 7 बिन्दुओं पर कार्रवाई अपेक्षित थी जो नहीं की गयी । परिणामस्वरूप अनुदान वितरण के पश्चात कई कॉलेज के प्रबंधन समितियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, जबकि इसके लिए पूर्णरूपेण विभाग जिम्मेवार है । अतः मामले की उच्चस्तरीय जाँच एवं की गई कार्रवाई सार्वजनिक करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	शिक्षा

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/16-3527-3540 / वि०स०, पटना, दिनांक-29 नवम्बर, 2016 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / परिवहन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29.11.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-31/16- 3527-3540 / वि०स०, पटना, दिनांक-29 नवम्बर, 2016 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

29.11.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।